संख्या– 468/आठ–2–12–8बैठक/09

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. **मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक**, उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक–02 मार्च, 2012**

विषय– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के समय मैक्रो स्तर की प्लानिंग में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के सुझावों को समायोजित किया जाना।

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा नयी योजनाओं को तैयार करते समय मैक्रो स्तर पर नियोजन में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के मन्तव्य का समायोजन कर महानगरों की अवस्थापना सुविधाओं एवं महायोजना के प्रस्तावों में बेहतर तालमेल **सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।**

2– अतएव इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं की मैको–लेविल प्लानिंग करते समय निम्न प्रकिया का पालन किया जाय :–

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी नयी योजनाओं के मैक्रो स्तर की प्लानिंग करते समय मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक का अभिमत अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा अपना अभिमत एक माह के अन्दर अवश्य आवास आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा macro level की प्लानिंग की दृष्टि से प्रस्ताव का परीक्षण किया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से यह देखा जायेगा कि प्रस्ताव सम्बन्धित/निकटवर्ती नगर की महायोजना से consistant है और प्रस्तावित योजना विचाराधीन/क्रियान्वित की जा रही मुख्य अवस्थापना सुविधाओं यथा–बाईपास, एक्सप्रेस–वेज् आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है।

क्रमशः..........2

(4) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार करते समय मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के सुझावों को परिषद के निदेशक मण्डल के समक्ष स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया जायेगा और निदेशक मण्डल यह विनिश्चय करेगा कि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के किन सुझावों को योजना में समावेशित कर लिया गया है तथा अवशेष सुझावों को न मानने के क्या कारण हैं?

3. कृपया उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या–468 (1)/आठ–2–2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
2– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1/3
3– गाड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।